राजस्थान सरकार

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

निदेशालय कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जनपथ,

ज्योति नगर, जयपुर

1. अपने संगठन की विशिष्टयां, कृत्य और कर्तव्य

A. निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग जो वित्त विभाग के अधीन है, राज्य सरकार के वित्तीय लेखांकन तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड – I/II का स्थापन /स्थानान्तरण एवं सेवा संबंधी कार्य किये जाते है एवं एवं कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग का संस्थापन संबंधित समस्त कार्य यथा कनिष्ठ लेखाकार पद की नवीन भर्ती अयोजित करवाना, नियुक्ति /पदस्थान एवं स्थानान्तरण संबंधित कार्य किये जाते है।

B. निदेशालय कोष एवं लेखा का गठन राज्य के सभी कोषालयों, उपकोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियत्रण बजट एवं कोष कार्योलयों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का संचालन तथा कोषालय से प्राप्त विभिन्न विभागों के आय एवं व्यय के मासिक आंकड़े संकलित कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना है साथ ही राज्य के कोषालयों द्वारा प्रतिमाह रक्षा, केन्द्रीय उत्तरी रेल्वे तथा पश्चिमी रेल्वे पेंशनरों को किये जाने वाले पेंशन भुगतान के वाउचर क्रमश'; रक्षा लेखा नियंत्रक(पेंशन) इलाहाबाद, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, दिल्ली/वरिष्ठ मंडल लेखाधिकारी/वित्त प्रबंधक उत्तर–पश्चिमी रेल्वे जयपुर को प्रेषित कर उसके पुनर्भरण प्राप्त करने के कार्य में महालेखाकार, राजस्थान को सहयोग प्रदान करना है तथा दीर्घकालीन ऋणों के खातों का कोषालयों के माध्यम से संधारण करना एवं कर अल्प बचत एवं लॉटरी विभाग के बकाया कार्यों का निष्पादन करना।

2. अपने अधिकारियों एवं कर्मचारीयों की शक्तियाँः

विभाग में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के संचालन एवं नियंत्रण हेतु तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नती एसीपी स्थानान्तरण संबंधी कार्य के लिए राजस्थान लेखा सेवा के सुपरटाईम स्केल के 03 अधिकारी अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत है। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासनिक कार्य हेतु तथा कोष संबधी कार्य के लिए राजस्थान लेखा सेवा के चयन वेतन श्रृंखला के 02 अधिकारी संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत है। जिनकी सहायता के लिए अन्य कार्मिक भी विभाग में कार्यरत है। जिनके द्वारा समान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, यात्रा भत्ता नियम, सिविल सेवा वर्गीकरण नियत्रण(सी.सी.ए) नियम एवं वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर) विभाग परिपत्र दिनांक 04.02.2019 में वर्णित/प्रदत्त शक्तियों तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी पदोन्नति नियम, वार्षिक कार्य मुल्यांकन नियम आदि के अनुसार कार्य सम्पदित किया जाता है।

3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालना की जाने वाली प्रक्रिया जिससे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैः

विभाग में प्राप्त पत्र प्राप्ति शाखा में प्राप्त किया जाता है। पत्येक दिन सभी को प्राप्त कर प्रभारी अधिकारी, आवक–जावक शाखा (प्रशासन) द्वारा पत्रों में मार्किंग कर पत्र प्राप्ति पंजिका में इन्द्राज करने हेतु पत्र प्राप्ति लिपिक के पास भिजवा दिये जाते है। लिपिक द्वारा पंजिका में इन्द्राज कर संबंधित शाखा में वितरित किया जाता है। संबंधित पत्रावली पर पत्र को शाखा प्रभारी अधिकारी के माध्यम से संबंधित अधिकारी को नियमों के संदर्भ अंकित करते हुए, नियमों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रकरण पर निर्णय लिया जाता है। निदेशक महोदय की स्वीकृति होने पर प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रकरण में पर्यवेक्षक एवं जवाबदेही निर्धारित हो जाती है।

4. अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु स्वयं द्वारा स्थापित मापद्ण्डः

लागू नहीं है।

5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखः

समान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सेवा नियम, RTPP Act 2012, RTPP Rules, 2013, राजस्थान लेखा सेवा नियम, यात्रा भत्ता नियम, सिविल सेवा वर्गीकरण नियत्रण(सी.सी.ए) नियम एवं वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर) विभाग परिपत्र दिनांक 04.02.2019 में वर्णित/प्रदत्त शक्तियों तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी पदोन्नति नियम, वार्षिक कार्य मुल्यांकन नियम आदि के अनुसार प्रकरणों पर कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

6. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियत्रंणाधीन है प्रवर्गो का विवरणः

विभाग के विभिन्न अनुभागों द्वारा निम्नानुसार पंजिकायें रखी जाती हैः–

1. प्राप्ति पंजिका।
2. पत्र जावक (डिस्पेच) पंजिका।
3. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड –।–।। एवं कनिष्ठ लेखाकारों का जिलेवार पोस्टिंग रजिस्टर।
4. संवर्गानुसार उक्त पदो ंके स्वीकृत पदो का विभागवार विवरण पंजिका।
5. अधिनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कर्मचारियों की व्यक्तिगत पंजिकाऐं।
6. अधिनस्थ लेखा सेवा के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के प्राप्ति हेतु संवर्गवार व कार्मिकवार अलग–अलग पजिकाऐं।

7. अप्रैल की स्थिति में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड –I/II एवं कनिष्ठ लेखाकारों की वरिष्ठता सूचियाँ।
8. उक्त के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज यथा निलम्बित कार्मिकों की सूचनाएं एवं उनकी बहाली से सम्बन्धित पंजिका, अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण पंजिका, वित्तीय वर्ष से संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिकों की सूचाना सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि।
9. CMIS रजिस्टर, विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों के प्रत्युत्तर की पत्रावली।

7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैः

निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान, जयपुर, ए–ब्लॉक तृतीयतल, वित्त भवन जनपथ, जयपुर, ई– मेलः dir-ta-rj@nic.in टेलीफोन न0–0141–2740239

8. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के लिए कार्यवृत तक जनता की पहुँच होगीः

लागू नही है

9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिकाः

विभाग में अधिकारी/कर्मचारी विभागीय कार्य सामान्य कार्यालय पद्धति के अनुसार सम्पादित करते है। विभाग के मुख्य–मुख्य अधिकारीयों की सूची संलग्न है।

Detail			Phone No. PA (PABX NO)			Email
S.No.	Name	Designation	IP	PABX	Telephone	Email
1	Brijesh Kishore Sharma	Jt.Secretary and Director (Treasury and Accounts)	28653	1302	2740239	dir-ta-rj@nic.in
2	Amita Sharma	Additional Director (IFMS)	-	1202	2743752	jdb-ta-rj@nic.in
3	K.G.Gupta	Additional Director	-	3308	2740837	ad3-ta-rj@rajasthan.gov.in
4	Narendra Singh	Joint Director (Administrator)	24626	2201	2744861	jdadm.dta@rajasthan.gov.in
5	Kamalpreet Kaur	e-treasury officer	22317	2004	2744295	e-to-rj@nic.in
6	Ramkesh Meena	Joint Director (Kosh)	22315	1206	2744366	ddt-ta-rj@nic.in
7	Seema Kaushal	Joint Director((PI/PII)	--	-	8739968478	seema4sept83@yahoo.com
8	Rajeev Bhatnagar	Analyst-Cum-Programmer (Deputy Director)	28655	1205	2744488	ddit.dta@rajasthan.gov.in
9	Chandra Shekhar Gaur	JLR	-	1207	2740254	legal.dta@rajasthan.gov.in
10	Bharti Shekhawat	Deputy Director	-	1308	--	bhartishekhawat@rajasthan.gov
11	Rahul Kumar Chhimpa	ACP (Dy.Director), IFMS	28655	00000	-	rkchhimpa.doit@rajasthan.gov.in
12	Bajrang Singh Shekhawat	Sr. Private Secretary	-	1201	2740239	bsj.2772@rajasthan.gov.in
13	Pratima Goyal	Assistant Director	-	-	9896090594	pratimagoyal.07@gmail.com
14	Hinglaj Dan	Assistant Director	-	-	6350085547	hinglaajchaaran@gmail.com

Detail			Phone No. PA (PABX NO)			Email
S.No.	Name	Designation	IP	PABX	Telephone	Email
15	Pawan Modi	Accounts Officer(IFMS)	-	1211	2743752	aaopaymanager.ifms@rajasthan.gov.in
16	Suresh Kumar Verma	Accounts Officer	--	1211	--	aaowam.ifms@rajasthan.gov.in
17	Ram Kishore Sharma	Programmer	22310	22310	2744488	rksharma.doit@raj

10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो:

निदेशालय में स्वीकृत पद

क्र.सं.	पद का नाम	निदेशालय कोष एवं लेखा		
	(अ) राजपत्रित अधिकारी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव	1	1	0
2.	अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक	1	1	0
3.	अतिरिक्त निदेशक	2	1	1
4.	संयुक्त निदेशक	4	3	1
5.	उप निदेशक	2	2	0
6.	कोषाधिकारी (ई–कोषालय)	1	1	0
7.	कोषाधिकारी (साईबर ट्रेजरी)	1	1	0
8.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	2	1	1
9.	लेखाधिकारी	7	6	1
10.	उप निदेशक कम ए.सी.पी	2	1	1
11.	अतिरिक्त कोषाधिकारी	2	1	1
12.	सहायक निदेशक	7	2	5
13.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	12	12	0
14.	सहायक कोषाधिकारी	1	1	0
15.	उप विधि परामर्शी	1	0	1
16.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	2	0	2
17.	प्रोग्रामर	6	3	3

18.	वरिष्ठ निजी सचिव	1	1	0
19.	निजी सचिव	1	1	0
20.	अतिरिक्त निजी सचिव	2	1	1
21.	संस्थापन अधिकारी	1	1	0
22.	प्रशासनिक अधिकारी	3	2	1
23.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	8	8	0
	योग (अ)	**70**	**51**	**19**
	(ब) अराजपत्रित अधिकारी			
1.	निजी सहायक ग्रेड–I	2	0	2
2.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	29	28	1
3.	निजी सहायक ग्रेड–II (आशुलिपिक)	4	4	0
4.	कनिष्ठ लेखाकार	36	21	15
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	15	15	3
6.	वरिष्ठ सहायक	26	24	10
7.	कनिष्ठ सहायक	42	35	16
8.	सहायक प्रोग्रामर	6	3	3
9.	सूचना सहायक	3	0	3
10.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
11.	वाहन चालक	3	1	2
12.	मशीन मैन	1	0	1
13.	जमादार	2	1	1
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	34	8	26
	योग (ब)	**204**	**141**	**63**
	योग (अ+ब)	**274**	**192**	**82**

नोटः– 1. कनिष्ठ लेखाकारो के रिक्त पदों के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II अस्थाई रूप से कार्यरत है।

10. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टयां

क्र.सं.	मद	वर्ष 2024—25 के लिये स्वीकृत मूल अनुदान	नवम्बर 2024 तक व्यय	विशेषविवरण
1	2	3	4	5
1	2054—00—095—01—00 दत्तमत (निदेशालय)	3390.41	3068.61	
2	2054—00—095—01—00 प्रभृत (निदेशालय)	0.11	0	
3	2054—00—095—01—00 दत्तमत (कोष/उपकोष)	19617.11	12076.28	
4	4059—80—051—(42)—00—17	1458	9.29	
5	4059—80—796—(02)—(01) 4059—80—789—(07)—(01)—17	289 373	0 0	
6	2054—00—097—(01)—00—05 2054—00—097—(03)—00—62	50.00	50.00	
7	2054—00—097—(03)—00—62	3740.50	2604.41	
8	2054—00—800—05—01 (CMSDC)	140.22	301.15	
9	2054—00—190—01—01	190.02	100.00	
10	2054—00—800—06—01	231.00	111.78	
	योग	**29479.37**	**18321.52**	

11. उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजटः

आय व्ययक अनुमान 2025–26

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट

आय व्ययक अनुमान 2025–26

राज्य निधि — राशि लाख रूपयों में

क्र.सं.	मद	वर्ष 2025–26 के लिये स्वीकृत मूल अनुदान
1	2	3
1	2054–00–095–01–00 दत्तमत (निदेशालय)	3423.32
2	2054–00–095–01–00 प्रभृत (निदेशालय)	0.0
3	2054–00–097–05–01 दत्तमत (कोष/उपकोष)	20005.51
4	4059–80–051–(42)–00–17	759
5	4059–00–796–(02)–(01)–17 4059–00–789–(07)–(01)–17	159 203
6	2054–00–097–(01)–00–05	70.00
7	2054–00–097–(03)–00–62	6457
8	2054–00–800–05–01	1879.45
9	2054–00–800–06–01	751
10	2054–00–800–07–01	1188
11	2059–80–053–19	245.37
	योग	**35140.65**

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैः

लागू नहीं है।

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियांः

लागू नहीं है।

14. किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित होः

विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिकों की वरिष्ठता सूचियां एवं इस संवर्ग के पदस्थापन/स्थानान्तरण तथा अन्य सभी प्रकार के आदेशों की प्रतियां विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाती है।

15. सूचना अभिप्राप्त कराने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैः

लागू नहीं है।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पद की सूचना निम्न तालिकानुसार हैः

Detail			Phone No. PA (PABX NO)			Email
S.No.	**Name**	**Designation**	**IP**	**PABX**	**Telephone**	**Email**
प्रथम अपीलीय अधिकार						
1	Shri Brijesh Kishore Sharma	Jt.Secretary and Director (Treasury and Accounts)	28653	1302	2740239	dir-ta-rj@nic.in
लोकसूचना अधिकारी						
1	K.G.Gupta	Additional Director	-	3308	2740837	ad3-ta-rj@rajasthan.gov.in

Detail			Phone No. PA (PABX NO)			Email
S.No.	Name	Designation	IP	PABX	Telephone	Email
2	Narendra Singh	Joint Director (Administrator)	24626	2201	2744861	jdadm.dta@rajasthan.gov.in
3	Ramkesh Meena	Joint Director (Kosh)	22315	1206	2744366	ddt-ta-rj@nic.in

17. ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए:

लागू नहीं है।